

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)

क्रमांक : एफ.18(आई-26)आईडब्ल्यूएमपी/2009-10/1830-1878 दिनांक : 4/3/10

परियोजना प्रबंधक,
जिला जलग्रहण विकास इकाई
जिला परिषद (समस्त)

विषय :- जिला जलग्रहण विकास इकाई हेतु सविदा पर कार्मिक लेने बाबत :

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय आदेश क्रमांक एफ.18(आई-26) आईडब्ल्यूएमपी/2009-10/1830-1878 दिनांक 4/3/10 के माध्यम से जिला जलग्रहण विकास इकाई में एक लेखाकार एवं एक डाटा एन्ट्री ऑपरटर का पद सृजित कर सविदा पर लिये जाने के आदेश प्रसारित किये गये हैं। (प्रति संलग्न)

जिला जलग्रहण विकास इकाई में लेखाकार के पद पर कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक F.17(10)DOPIA-II/94 दिनांक 28.8.09 (प्रति संलग्न) के आधार पर संवन्धित लेखाकर्मी (कनिष्ठ लेखाकार/लेखाकार/सहायक लेखाधिकारी उपलब्धता के अनुसार) को सविदा पर एवं डाटा एन्ट्री ऑपरटर को वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.9(1) एफडी-1(1)बजट/2004 दिनांक 28.7.2008 (प्रति संलग्न) के आधार पर सविदा पर लिया जाना है।

अतः जिला जलग्रहण विकास इकाई में लेखाकार एवं डाटा एन्ट्री ऑपरटर के एक-एक पद हेतु कार्मिकों को लगाये जाने का नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
संलग्न : उपरोक्तानुसार

30.10.5
आयुक्त

क्रमांक : एफ.18(आई-26)आईडब्ल्यूएमपी/2009-10/1830-1878 दिनांक : 4/3/10

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) एवं अध्यक्ष, एस.एल.एन.ए., राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, आयुक्तालय, जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, आयुक्तालय, जयपुर।
6. उपनिदेशक (प्रशासन), आयुक्तालय, जयपुर।
7. लेखाधिकारी (पंचायत प्रकोष्ठ), जिला परिषद (समस्त)

30.10.5
आयुक्त